AC-II

मंजू देवी vs बालीदेवी

वि०प्र० - 38/25

आज दि. 15/5/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण हाजिर। आज कन्डोनेशन / कार्य बहिष्कार / अनुपस्थिति / [illegible] कारण, न्यायालय की कार्यवाही नहीं [illegible] हो.स. अन्य [illegible] व्यस्त / [illegible] पत्रावली पूर्व [illegible] दिनांक 5/6/25 को पेश हो।

R

05/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया व प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से बैरंगकार सरकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने T.I. का जवाब न देकर लीडी बहस T.I. हेतु निवेदन किया। ही बहस T.I. हेतु सुनी जाकर बहस उभयपक्ष की सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र T.I. स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम T.I. दिनांक 18/02/2025 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्टीन्यू किया जाता है। पत्रावली पैरावल शुमार होकर सलान मूलवाद के निर्णय आफ डिक्री 05/06/2025 को सरे मजलिस सुनाया गया।

Exy
5/6/2025
अप्रार्थी की ओर से
की कोई नहीं,